

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक की तामील मंजारी हुए
	<p>.....<u>रेखा कुमारी</u>..... बनाम.....<u>रमेश</u>..... मु.नं. <u>25/23</u> T.D.</p>	
	<p><u>12.11.24</u> पत्रावली पेश हुई। कानिभाषकों द्वारा कार्य स्थगन के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5.12.24 को पेश हो।</p>	
	<p><u>5.12.24</u> पत्रावली पेश हुई। वकील कादी/प्राधी उपस्थित। पत्रावली वास्ते अहम प्र.पत्र T.D दिनांक 31-12-24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	
	<p><u>31-12-24</u> पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य शक्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30-1-25 को पेश हो।</p>	
	<p><u>30-1-25</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी वकील ने अहम प्र.पत्र T.D हेतु समय चाहा। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते अहम प्र.पत्र T.D दिनांक 20.3.25 को पेश हो।</p>	
	<p><u>20.3.25</u> पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को प्र.पत्र-2 भाषा में दिलावाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। प्रार्थी एवं उसके वकील को वाद-2 निर्देशों के आवक भी उनके द्वारा प्र.पत्र T.D पर अहम नहीं की जा रही है और निर्देशों को अवहेलना की जा रही है। पत्रावली अगले समय से अहम प्र.पत्र T.D में लक्षित है। इसके स्पष्ट हैं।</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी है
	<p>..... रेखा कुमारी बनाम रमेश मु.नं. 23/23 (T.S.)</p>	
	<p>पशाडारान पत्रावली में कोई कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली पशाडारान ही आदम एअर में आदम कंपनी में खारेज हो जाती है। पत्रावली में दिनांक 16.6.23 को जारी अंतरिम अल्ट्राई सिपेडका के प्रचलन के लयमाप्त किया जाता है। पत्रावली फलतः कुमार ब्रोकड दाखिल इफर हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	